न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ढिगावडा)

वाद संख्या :— 02 / 83 / 2016

रामपाल बनाम कमला वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 12.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट ढिगावडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.05.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 75 / 0.38 है. वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस की पालना बाबत् रजिस्टर्ड नोटिस 03.06.2016 को जारी करने के उपरान्त भी आदिनांक तक अप्रार्थीगण की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072—75 खाता संख्या 39 में अंकित इन्द्राज से आराजी विवादित पक्षकारान के सहखातेदारी की आराजी होना साबित होता है इसलिए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे के निर्णय तक प्रार्थीगण के हिस्से तक मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 75 / 0.38 है. वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे के निर्णय तक प्रार्थीगण के हिस्से तक मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 कैम्प कोर्ट ढिगावडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट ढिगावडा)